न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/16

1. लालचन्द आत्मज स्व0 श्री कालू जी आयु 58 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा ।
2. श्रीमती प्रेमबाई पुत्र स्व0 श्री कालूजी पत्नी श्री महावीर आयु 63 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी जरिये मुख्तारआम लालचन्द आत्मज कालूजी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन लाल आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ आयु 72 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी 6–ई–10 महावीर नगर विस्तार योजना दादावाडी कोटा ।
2. सत्यनारायण आत्मज श्री रघुनाथ आयु 77 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा ।
3. रामस्वरूप आत्मज श्री किशन लाल आयु 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम कोलोनी तहसील कनवास जिला कोटा ।
4. राजेन्द्र कुमार आत्मज श्री किशनलाल आयु 52 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील कनवास जिला कोटा ।
5. श्रीमती सजनी देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद जाति पूर्विया राजपूत निवासी रामचन्द्र परिया बिहाईन्ड ऑफ स्वीट होम कोलोनी बालिता रोड कुन्हाडी गिरधरपुरा कोटा ।
6. सरकार जरिये तहसीलदार कनवास जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सम्पूर्णानन्द राय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।
3. श्री महेश तिवारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से ।
4. श्री कुंज बिहारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 18.10.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 11.08.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चक जगदीशपुरा तहसील कनवास जिला कोटा में खसरा नम्बर 48 रकबा 36 बीघा, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.05 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 36 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय कालू पुत्र बाला व अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता स्वर्गीय रघुनाथ पुत्र बाला जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम माधोपुर तहसील कनवास जिला कोटा के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त में थी । उक्त भूमि में दोनों का 1/2 – 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज था । उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 106 रकबा 1.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 1.37 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 279 रकबा 0.04 हैक्टर कुल 09 किता रकबा 5.87 हैक्टर कायम किये गये । उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के दोनों के पिताओं के कब्जे काश्त में चली आ रही थी । अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता रघुनाथ जी का स्वर्गवास सन् 1992 में हो गया उनकी मृत्यु के बाद उनके 1/2 हिस्से की आराजी में उनके वारिसान का नाम फौती इंतकाल संख्या 204 दिनांक 10.06. 1992 से दर्ज हो गया । उसके उपरान्त प्रार्थीगण के पिता कालू जी का स्वर्गवास सन् 1997 में हो चुका था । वादग्रस्त आराजी में उनके 1/2 हिस्से पर उनके वारिसान का नाम फौती इंतकाल संख्या 254 दिनांक 01.01.1998 से दर्ज किया गया है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का मौखिक बंटवारा किया गया था उसी अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । प्रार्थीगण कम पढे लिखे थे तथा अप्रार्थी पढे–लिखे व सरकारी नौकरी में थे इसलिए उन्हें उस आराजी के बारे में पूरी जानकारी थी । इस कारण से अप्रार्थी कम 1व 2 ने प्रार्थीगण के साथ समान रूप से बंटवारा नहीं किया और प्रार्थीगण से 0.85 हैक्टर आराजी अधिक ले रखी थी । अप्रार्थी कम 01 ने उक्त आराजी का बंटवारा कराने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास में वर्ष 2015 में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसमें अप्रार्थी कम 01 ने धोखे से प्रार्थी के राजीनामा पर हस्ताक्षर करवाकर उसे अदालत में पेश कर दिया और उक्त राजीनामा के आधार पर वाद डिकी कर दिया गया । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण के हिस्से में आई आराजी में आने–जाने के लिए 12 फुट चौडा रास्ता निकालने का आदेश दिया गया जिसमें रास्ते की आराजी तो प्रार्थीगण के खाते में दर्ज रहेगी परन्तु आने–जाने के लिए रास्ते के रूप में अप्रार्थी कम 01 के उपयोग व उपभोग करेगा । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित डिकी दिनांक 05.01.2015 के अनुसार प्रार्थीगण को अप्रार्थी कम 01 की अपेक्षा 0.02 हैक्टर भूमि कम दी गई और खसरा नम्बर 111 व 112 की पूरी भूमि पर कब्जा अप्रार्थी कम 01 व 2 का ही है किन्तु डिकी में प्रार्थीगण के पक्ष में दर्शाया गया है । उक्त निर्णय व डिकी की पालना में प्रार्थीगण की आराजी में से 12 फुट चौडा रास्ता निकाल दिया गया है जिसके कारण प्रार्थीगण की फसल को अप्रार्थीगण द्वारा नष्ट कर दिया जाता है । प्रार्थीगण को उक्त डिकी की जानकारी होने पर उसकी अपील न्यायालय मे पेश की गई थी परन्तु न्यायालय द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया गया । उसके बाद प्रार्थीगण ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जो अभी विचाराधीन है । अप्रार्थी कम 01 ने अपने हिस्से में आई भूमि कुल किता 05 की रकबा 2. 96 हैक्टर में से 2.92 हैक्टर आराजी को अप्रार्थी कम 3 व 4 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से बेचान कर दिया । जबकि अप्रार्थी कम 01 के डिकी के अनुसार खसरा नम्बर 114 की आराजी खाते में

दर्ज करने के बाद उसका खसरा नम्बर 114/1 पूर्वी रकबा 0.39 हैक्टर दर्ज किया गया था जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 546/114 था परन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0.48 हैक्टर पश्चिम में थी । उसको अप्रार्थी कम 01 ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 114 रकबा 0.39 हैक्टर पूर्वी बताते हुए अप्रार्थी कम 3 व 4 को बेचान कर दिया है । उक्त बेचान अवैध व विधि विरूद्ध तथा धोखाधडी करके किया गया है । अप्रार्थी कम 3 व 4 ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र अप्रार्थी कम 05 को बेचान कर दिया गया । प्रार्थीगण को डिकी दिनांक 05.01.2015 के अनुसार खाते में आई आराजी में से खसरा नम्बर 111 की रकबा 0.05 हैक्टर, पश्चिम खसरा नम्बर 112 की रकबा 0.35 हैक्टर पश्चिम पर कब्जा अप्रार्थी कम 1 व 2 का था जिसको बेचान कर दिया गया है जिस पर वर्तमान में अप्रार्थी कम 05 का कब्जा है तथा खसरा नम्बर 117 की आराजी में 16 मीटर दक्षिण में खसरा नम्बर 113 पर लगभग 14 मीटर दक्षिण में खसरा नम्बर 112 में लगभग 10 मीटर दक्षिण की ओर पर अप्रार्थी कम 02 ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है । परीक्षण न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के मध्य बंटवारा समान रूप से नहीं किया गया है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी कम 1, 2 व 5 के कब्जे काश्त में है उसको अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण कम 1, 3, 4 व 5 तथा अप्रार्थी कम 02 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.08.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिली भगत कर उक्त निर्णय पारित किया गया है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं का स्पष्ट निष्कर्ष पारित किये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 की जानकारी अपने अभिभाषक महोदय से दिनांक 13.12.2021 को हुई क्योंकि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट के अभिभाषक व रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक के मध्य दिनांक 11.08.2021 को बहस हुई थी । उसके बाद निर्णय के लिए दिनांक 17.08.2021 नियत की गई परन्तु निर्णय नहीं लिखाने के कारण आगामी पेशी दिनांक 25.08.2021 नियत की गई उसके बाद दिनांक 25.09.2021 व उसके बाद 15.12.2021 नियत की गई । उसके बाद दिनाक 25.09.2021 व उसके बाद 15.12.2021 निर्णय में अपीलान्ट को दी गई परन्तु इस दौरान परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिली भगत करके दिसम्बर, 2021 में उक्त निर्णय लिखा गया जिसमें निर्णय दिनांक 11.08.2021 को लिखना बताया गया है तथा पत्रावली की ऑर्डर शीटों को भी बदला गया है । अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 13.12.2021 को होने पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 20.12.2021 को नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः उपुर्यक्त कारणों से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188, 183 एवं 53 के अन्तर्गत वाद पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त आदेश बेक डेट में लिखाया है क्योंकि अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ताओं के मध्य परीक्षण न्यायालय में दिनांक 11.08.2021 को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई थी तथा आदेश के लिए आगामी पेशी दिनांक 17.08.2021 निर्णय के लिए दी गई थी, परन्तु उस दिन आदेश नहीं सुनाया और अपीलान्टगण से कहा गया कि अभी आदेश नहीं लिखाया यह कहते हुए आगामी पेशी दिनांक 25.08.2021 नियत की गई उसके बाद दिनांक 25.09.2021 आदेश के लिए दी उसके बाद आदेश के लिए दिनांक 15.12.2021 नियत की गई । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 11.08.2021 को ही निर्णय पारित कर दिया जाना बताया गया जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करते समय अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए मात्र रेस्पोडेन्टगण के जवाब प्रार्थना पत्र में लिये गये विशेष कथन का हवाला देते हुए लिखा । जबकि परीक्षण न्यायालय को उक्त आदेश पारित करते समय तीनों बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं को विस्तार से डिसकस करते हुए तय करना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय ने उक्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में राजीनामा के आधार पर बंटवारा की डिकी दिनांक 05.01.2015 का उल्लेख करते हुए उसे आधार मानकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । कोई भी डिकी छल कपट व धोखे में रखकर प्राप्त की गई है उसको उसी न्यायालय में प्रभावशून्य करवाया जा

सकता है, परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा इस बाबत् अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया है कि दिनांक 05.01.2015 को वादी ने व विद्वान् अभिभाषक वादी अधिवक्ता छल, कपट व मिलीभगत कर डिक्री पारित करवाना बताया है । इसे फ्रॉड की श्रेणी में मानने का तर्क दिया । उक्त डिक्री को फ्रॉड साबित करने हेतु उन्होंने कथन किया कि लालचन्द को जो नोटिस दिया उस पर कोई दिनांक अंकित नहीं होना तथा उसकी तामील भी नहीं होने का कथन किया । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे कथन किया है कि अभिभाषक श्री महावीर मेरोठा वादी के अभिभाषक थे तो प्रतिवादी के अधिवक्ता कैसे बने ? उन्होंने अपीलान्ट का अंधेरे में रखकर पैमाइश का बहाना लेकर हस्ताक्षर करवाने का कथन किया । वादी व प्रतिवादी का एक ही अधिवक्ता नहीं हो सकता । इस प्रकार उक्त राजीनामा को फ्रॉड के आधार पर छल, कपट करने का कथन किया । दूसरा मुख्य तर्क है कि उक्त आदेश Non- Speaking श्रेणी में आता है क्योंकि प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एससीसी 1994 पेज 01 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही थी परन्तु उनके द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है । अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद एवं पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किये हैं । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जा चुका है जिसकी पालना में वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के पृथक-पृथक खाते में दर्ज की जा चुकी है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2015 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रथम अपील पेश की गई जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 14.08.2019 के द्वारा खारिज कर दिया । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की है । परीक्षण न्यायालय को पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2015 को खारिज करने एवं नयी डिक्री पारित करने का अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्टगण की भूमि से प्रार्थीगण अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध नहीं है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि कोई फ्रॉड, छल, कपट नहीं किया गया। चूँकि प्रकरण राजीनामे का था, अतः कोई त्रुटि अधिवक्ता के स्तर से नहीं की गई । कोई तकनीकी त्रुटि है तो उसे सिद्ध किया जाना है । प्रार्थी लालचन्द पुराने समय का शिक्षित व्यक्ति है । इसे साबित करने हेतु कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवास कोटा द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें 1982 में 10वीं उत्तीर्ण करना अंकित है । इस प्रकार लालचन्द एक पढा लिखा व्यक्ति है जिसने सोच-समझकर सहमति दी है। आगे कथन किया है कि चूँकि मूल वाद संख्या 07/2014 की अपील वर्तमान में राजस्व मण्डल में लम्बित है । अतः इस पर विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं थी । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील

अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं उनको ध्यान में रखते हुए न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में पक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार दिनांक 05.01.2015 को वाद डिक्री किया गया था । परीक्षण न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 14.08.2019 के द्वारा खारिज कर दिया ।

13. हमारे समक्ष मुख्य तथ्य यह है कि मूल वाद संख्या 07/2014 जिसका निर्णय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा द्वारा दिनांक 05.01.2015 को पारित किया गया । उपखण्ड अधिकारी कनवास द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.01.2015 की प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 के द्वारा खारिज की गई । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.08.2019 की द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित है । वाद संख्या 07/2014 में यदि कोई छल, कपट, फॉड हुआ है तो उसे अपीलान्ट को सिद्ध करना पडेगा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में प्रारम्भिक स्तर पर ही यह नहीं निर्णित किया जा सकता कि प्रकरण में कोई छल, कपट, फॉड हुआ है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिसमें रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध कोई प्रथमसूचना रिपोर्ट या किसी अन्य सक्षम न्यायालय में फॉड को लेकर कोई प्रकरण दर्ज करवाया हो । अपीलान्ट ने अपने अपील मीमो में स्वयं अंकित किया है – "प्रार्थीगण ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत कर रखी है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।" जब प्रश्नगत डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दिनांक 05.01.2015 एवं दिनांक 14.08.2019 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित है तो ऐसी अवस्था में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्राथमिक स्टेज पर किस प्रकार प्रकरण को छल, कपट व फॉड के आधार पर डिक्री प्राप्त करने के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है ? यह बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य, गवाह बयानों के आधार पर तय होगा । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । अप्रार्थी संख्या 05 रेस्पोडेन्ट ने राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर भूमि क्रय की है । डिक्री दिनांक 05.01.2015 अभी अस्तित्व में है । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.08.2019 की अपील विचाराधीन

है । ऐसी स्थिति में उभयपक्षकारों को अपना पक्ष माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रखना है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार ग्राम चक जगदीशपुरा की आराजी कुल किता 05 कुल रकबा 2.92 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 05 श्रीमती सजनी देवी के खातेदारी में दर्ज है जो रिकॉर्डेड खातेदार है । अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । हम विद्वान् अभिभाषक के इस कथन से सहमत हैं कि परीक्षण न्यायालय द्वारा Speaking निर्णय पारित किया जाना चाहिए । परन्तु जैसा कि पैरा नम्बर 13 में ऊपर प्रकरण का विवेचन किया गया है कि मूल प्रश्नगत डिक्री अभी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है । अतः इस प्रकरण में वर्तमान स्तर पर ऊपर विवेचित तीनों बिन्दु अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा